



दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

कार्यालय का पता : दुकान नं. 2-3, सी-4, डी.डी.ए., मार्केट, प्रथम तल, लोरेन्स रोड, केशवपुरम, दिल्ली-35

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website :

Date :- 29th, April, 2016

अध्यक्ष/प्रधान
शिवकुमार गर्ग
मो. 9212567435
ई-मेल skg7435@gmail.com

महासचिव
सीताराम
मो. 9312238830
ई-मेल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
जगदीश प्रसाद शर्मा
मो. 9810406015
ई-मेल

उपाध्यक्ष
लोकेश अग्रवाल (नई दिल्ली)
मो. 9811153175
ई-मेल

अंकुर गोयल (ईस्ट)
मो. 9560128537
ई-मेल

के.पी.त्यागी (नोर्थ ईस्ट)
मो. 9910173582
ई-मेल

रमेश गर्ग (सेन्टर)
मो. 9211608223
ई-मेल

प्रेम चन्द सिंघला (वेस्ट)
मो. 9212526640
ई-मेल

श्याम सुन्दर गोयल (नोर्थ वेस्ट)
मो. 9311170848
ई-मेल

विनोद मलिक (साउथ वेस्ट)
मो. 9810678574
ई-मेल

अशोक जिनदल (साउथ)
मो. 9810316311
ई-मेल

सचिव
बी.एम. गुप्ता
मो. 9311385566

भिखारी लाल
मो. 9278203088

कुन्ज बिहारी बंसल
मो. 9810630303

कैशियर
प्रेम कुमार गोयल
मो. 9213745545

दस्तावेज संख्या : DSRDS/2016/09

दिनांक

THE SECRETARY to the MINISTER [F&S],
GONCT OF DELHI, NEW SECRETARIATE,
I.P.ESTATE, NEW DELHI

Reference:- Your e-mail dated 28th, April, 2016 regarding
scheduled meeting today at 3.00 p.m. with Minister[F&S] with
reps of DSRDS, DELHI

Respected Sir,

The undersigned is extremely grateful for your having
acknowledged the e-mail & fixed up the meeting with the
Minister(F&S) for hearing our grievances at a very short
notice.

I sincerely convey my gratitude & also on behalf of the entire
fraternity of Fair Price Shopkeepers of entire Delhi to you &
the Minister[F&S].

Sir, I am enclosing herewith a copy of the letter dated 17th
February, 2016 addressed to the CFS wherein the major
problems we had raised & need your kind attention in order
to resolve the same. A copy of the same was also submitted to
the Minister(F&S). Further issues are:-i] Short supply of SFAs
by the T.C of DSCSC Ltd. ii] Late supply of SFAs by DSCSC Ltd.
iii] Opening of sales of SFAs w.e.f.1st May, 2016.

Any other items to be raised with the permission of the chair.

With regards,

Yours sincerely,

[SHIV KUMAR GARG]

PRESIDENT, DSRDS, DELHI

विशेष सूचना अधिकारी : राहुल अग्रवाल - 9871420213

The Search No.....Dt.....
Minister of Food & Civil Supplies,
Government of India
Minister of F&S, Govt. of Delhi
Minister of F&S, Govt. of Delhi

Copy given to
Minister
29/4/16
Library No.....Dt.....
Minister of Food & Civil Supplies,
Government of India
Minister of F&S, Govt. of Delhi
Minister of F&S, Govt. of Delhi
I.P. Estate, New Delhi-110018



दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

कार्यालय का पता : दुकान नं. 2-3, सी-4, डी.डी.ए., मार्केट, प्रथम तल, लोरेन्स रोड, केशवपुरम, दिल्ली-35

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website :

Date : 29th, April, 2016

अध्यक्ष/प्रधान
शिवकुमार गर्ग
मो. : 9212567435
ई-मेल : skg7435@gmail.com

महासचिव
सीताराम
मो. : 9312238830
ई-मेल :

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
जगदीश प्रसाद शर्मा
मो. : 9810406015
ई-मेल :

उपाध्यक्ष
लोकेश अग्रवाल (नई दिल्ली)
मो. : 9811153175
ई-मेल :

अंकुर गोयल (ईस्ट)
मो. : 9560128537
ई-मेल :

के.पी.त्यागी (नोर्थ ईस्ट)
मो. : 9910173582
ई-मेल :

रमेश गर्ग (सेन्टर)
मो. : 9211608223
ई-मेल :

प्रेम चन्द सिंघला (वेस्ट)
मो. : 9212526640
ई-मेल :

श्याम सुन्दर गोयल (नोर्थ वेस्ट)
मो. : 9311170848
ई-मेल :

विनोद मलिक (साउथ वेस्ट)
मो. : 9810678574
ई-मेल :

अशोक जिन्दल (साउथ)
मो. : 9810316311
ई-मेल :

सचिव
बी.एम. गुप्ता
मो. : 9311385566
मिखारी लाल
मो. : 9278203088
कुन्ज विहारी बंसल
मो. : 9810630303

कैशियर
प्रेम कुमार गोयल
मो. : 9213745545

दस्तावेज संख्या : DSRDS/2014

दिनांक

TO,
THE SECRETARY to the MINISTER [F&S],
GONCT OF DELHI, NEW SECRETARIATE,
I.P.ESTATE, NEW DELHI

Reference:- Your e-mail dated 28th, April, 2016 regarding
scheduled meeting today at 3.00 p.m. with Minister[F&S] with
reps of DSRDS, DELHI

Respected Sir,

The undersigned is extremely grateful for your having
acknowledged the e-mail & fixed up the meeting with the
Minister(F&S) for hearing our grievances at a very short
notice.

I sincerely convey my gratitude & also on behalf of the entire
fraternity of Fair Price Shopkeepers of entire Delhi to you &
the Minister[F&S].

Sir, I am enclosing herewith a copy of the letter dated 17th
February, 2016 addressed to the CFS wherein the major
problems we had raised & need your kind attention in order
to resolve the same. A copy of the same was also submitted to
the Minister(F&S). Further issues are:-i] Short supply of SFAs
by the T.C of DSCSC Ltd. ii] Late supply of SFAs by DSCSC Ltd.
iii] Opening of sales of SFAs w.e.f.1st May, 2016.

Any other items to be raised with the permission of the chair.

With regards,

Yours sincerely,

[SHIV KUMAR GARG]

PRESIDENT, DSRDS, DELHI

विशेष सूचना अधिकारी : राहुल अग्रवाल - 9871420213



दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

कार्यालय का पता : दुकान नं. 2-3, सी-4, डी.डी.ए., मार्केट, प्रथम तल, लोरेन्स रोड, केशवपुरम, दिल्ली-35

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website :

o/c

DATE:- 17TH FEBRUARY, 2016

क्रमांक संख्या : DSRDS/2016

6/07-08

दिनांक

अध्यक्ष/प्रधान

शिवकुमार गर्ग

मो. : 9212567435

ई-मेल : skg7435@gmail.com

महारासचिव

सीताराम

मो. : 9312238830

ई-मेल :

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

: जगदीश प्रसाद शर्मा

मो. : 9810406015

ई-मेल :

उपाध्यक्ष

: लोकेश अग्रवाल (नई दिल्ली)

मो. : 9811153175

ई-मेल :

अंकुर गोयन (ईस्ट)

मो. : 9560128537

ई-मेल :

के.पी.त्यागी (नोर्थ ईस्ट)

मो. : 9910173582

ई-मेल :

: रमेश गर्ग (सेन्टर)

मो. : 9211608223

ई-मेल :

: प्रेम चन्द सिंघला (वेस्ट)

मो. : 9212526640

ई-मेल :

: श्याम सुन्दर गोयल (नोर्थ वेस्ट)

मो. : 9311170848

ई-मेल :

: विनोद मलिक (साउथ वेस्ट)

मो. : 9810678574

ई-मेल :

: अशोक निन्दल (साउथ)

मो. : 9810316311

ई-मेल :

सचिव

: वी.एम. गुप्ता

मो. : 9311385566

: भिखारी लाल

मो. : 9278203088

: कुन्ज बिहारी धराल

मो. : 9810630303

कैशियर

: प्रेम कुमार गोयन

मो. : 9213745545

TO,

SHRI SANJEEV KHIRWAR, I.A.S.,

THE COMMISSIONER [F&S],

GONCT OF DELHI, DEPTT. OF FOOD AND SUPPLIES,

I.P.ESTATE, 'K' BLOCK, VIKAS BHAWAN,

NEW DELHI-110002


SUBJECT:- REPRESENTATION REGARDING MARGIN MONEY /RENEWAL OF FPS LICENCE ONLINE & ADMISSIBLE SHORTAGE CLAIMED BY FPS HOLDER ETC THAT WERE DISCUSSED ON 28.01.2016 AS SOUGHT BY YOUR GOOD SELF

REFERENCE:- MINUTES OF THE MEETING HELD WITH REPS OF DELHI SARKARI RATION DEALERS SANGH-DELHI (DSRDS) AS CIRCULATED VIDE NO. F.2(100)/F&S/Comp/2013-14/Pt.File//103-106 dated 03/02/2016

RESPECTED SIR,

WE ARE EXTREMELY GRATEFUL FOR THE PERIODICAL MEETING WITH THE OFFICE BEARERS OF THE DSRDS, YOUR GOODSELF HAD ORGANISED ON 28TH OF JANUARY, 2016 IN YOUR CHAMBER &

विशेष सूचना अधिकारी : राहुल अग्रवाल - 9871420213



ESPECIALLY FOR THE CIRCULATION OF THE MINUTES THEREOF ON THE VARIOUS DECISIONS TAKEN THEREIN.

SIR, THAT ON CERTAIN POINTS OUR SANGH/ASSOCIATION WAS DIRECTED TO SUBMIT ITS REPRESENTATION HIGHLIGHTING ITS VIEWS WHICH ARE INDICATED AS UNDER:-

1. MARGIN MONEY

SIR, WE HAD BROUGHT IT YOUR KIND ATTENTION THAT THE MARGIN MONEY WHICH HAS BEEN ENHANCED w.e.f. SEPTEMBER, 2014 TO Rs70/- PER QUINTAL [RUPEES SEVENTY PER QUINTAL] SHOULD BE MADE APPLICABLE w.e.f. SEPTEMBER, 2013 i.e, THE MONTH FROM WHICH SERVICES OF THE ENTIRE FPSs ALL OVER DELHI WERE TAKEN. THE DEPARTMENT OF F&S HAS BEEN VERY WELL AWARE THAT OUR SERVICES HAVE BEEN AVAILABLE w.e.f. 1st SEPTEMBER, 2013 i.e, THE DATE OF ALLOCATION OF FOOD GRAINS UNDER THE NATIONAL FOOD SECURITY ACT, 2013 WHEN THIS ACT WAS IMPLEMENTED IN ENTIRE DELHI. THIS PHENOMENON HAS EVEN BEEN CLEARLY STIPULATED IN THE EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA, MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution), GOVERNMENT OF INDIA, NOTIFICATION DATED 17TH AUGUST, 2015

A TRUE COPY OF THIS EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA IS ENCLOSED HERewith VIDE **ANNEXURE NO.1**

THE RELEVANT PART OF THIS GAZETTE HAS BEEN DEFINED IN RULE NO.9 AS IS QUOTED HERE BELOW FOR YOUR KIND INFORMATION AND REFERENCE:-

QUOTE

9.Effective date of Central assistance,---The Central assistance to the State Government shall be effective from the date of allocation of food grains under the Act and shall be only for allocations made for entitled persons and households.

UN-QUOTE

SIR, YOU ARE AWARE WE HAVE BEEN STRUGGLING FOR THE LAST COUPLE OF YEARS FOR THE ENHANCEMENT OF THE MARGIN MONEY WHICH WAS FIXED WAY BACK IN MAY, 1997 & MADE EFFECTIVE FROM JUNE, 1997 @ Rs35/- PER QUINTAL AND WAS CONTINUED FOR MORE THAN SEVENTEEN YEARS[17] UNTILL 1ST SEPTEMBER, 2014 WHEN IT WAS RAISED TO Rs70/- PER QUINTAL, DESPITE THE FACT THAT IN BETWEEN THE NEW CENTRAL LEGISLATION CAME INTO BEING AND WAS IMPLIMENTED IN DELHI w.e.f. 1ST SEPTEMBER, 2013 BY THE GONCT OF DELHI.

THIS NEW CENTRAL LEGISLATION IS THE NATIONAL FOOD SECURITY ACT, 2013[NFS ACT].

YOURSELF WOULD APPRECIATE WHEN THE CENTRAL GOVERNMENT HAS THROUGH ITS GAZETTE DECLARED TO EXTEND FINANCIAL ASSISTANCE TO THE EXTENT OF 50% AS CENTRAL SHARE [REFER RULE NO.7. OF THE GAZETTE OF

INDIA] TO THE STATE GOVERNMENT w.r.t. THE EFFECTIVE DATE OF CENTRAL ASSISTANCE [REFER RULE NO.9 OF THE GAZETTE OF INDIA],IN FACT THE DEPARTMENT OF F&S IS FULLY AWARE ABOUT THE LAUNCHING OF THE N.F.S.ACT,2013 & HAD EVEN ORGANISED A SPECIAL TRAINING PROGRAMME FOR ALL THE FPSs OF ENTIRE DELHI IN AUGUST,2013 IN SAI AUDITORIUM,NEW DELHI AND EVEN ASSURED US ALL ABOUT THE HIKE TO BE DONE IN THE MARGIN MONEY & SOUGHT OUR COOPERATION TO MAKE THE NFS ACT,2013 A GREAT SUCCESS. IT IS ONLY SUCH OF THE MONTHLY ALLOCATIONS OF THE SFAs[WHEAT & RICE] THAT WE RECEIVED AS PER THE NFS ACT,2013 ONWARDS, FROM SEPTEMBER,2013 ONWARDS WE HAVE BEEN ISSUING TO THE ELIGIBLE BENEFICIES AS PER THE NFS ACT,2013.IT IS THUS A VERY LOGICAL & PERTINENT REQUEST WE ARE MAKING FOR THE ENHANCEMENT TO BE DONE w.e.f. 1ST OF SEPTEMBER,2013 ONWARDS. WHY & ON WHAT LOGIC THE DEPARTMENT HAS IGNORED OUR LEGITIMATE CLAIM OF ONE YEAR'S PERIOD FROM 1ST SEPTEMBER,2013 TO 31ST AUGUST, 2014?

WE ONLY WISH YOUR GOODSELF TO SEEK THIS SHARE FROM THE CENTRAL GOVERNMENT FROM 1ST SEPTEMBER,2013 WHEN THE NFS ACT,2013 WAS IMPLIMENTED IN DELHI AND ALLOCATIONS OF FOOD GRAINS WERE MADE UNDER THE NFS ACT,2013& RECEIVED BY US & ISSUED BY US ONLY.

WE ARE ENCLOSING HEREWITH A COPY OF THE ANALYSIS OF THE FPS-WISE /ZONE-WISE ALLOCATION OF WHEAT AND

RICE VIS-À-VIS NUMBER OF FPSs HAVING QUANTITY OF ALLOCATION OF FOOD GRAINS 0-50/50-100/100-200/200-300/300-400 & LASTLY ABOVE 400 QUINTALS OF FOOD GRAINS AS PER ALLOCATIONS MADE BY THE DEPARTMENT OF F&S FOR THE MONTH OF FEBRUARY, 2016. WE HAVE ALSO PRESENTED IN THIS ANNEXURE ABOUT THE MONTHLY NET EARNINGS OF DIFFERENT SETS OF THE GROUPED FPSs w.r.t THE MARGIN MONEY PAID @ Rs70/- P.Q. REFER **ANNEXURE NO.2**

YOUR GOODSELF WOULD BE SURPRISED TO OBSERVE THAT HARDLY 1.27% OF THE TOTAL NUMBER OF FPSs IN DELHI ARE GETTING THEIR NET EARNINGS EVERY MONTH OF AROUND Rs30,000/- AND ALL THE REST OF MORE THAN 98% OF THE TOTAL POPULATION OF 2291 FPSs IN ENTIRE DELHI ARE GETTING FAR LESS OF THE NET MONTHLY EARNINGS. UNDER SUCH A SCENARIO OF THE EXISTING PDS IN ENTIRE DELHI, YOUR GOOD SELF WOULD CERTAINLY APPRECIATE HOW IS THE ECONOMIC VIABILITY w.r.t. THE EXISTING RATE OF Rs70/- P.Q. PAID BY THE F&S DEPARTMENT BEEN KILLING ONE AND ALL OF THE FPSs AND HOW DOES THE DEPARTMENT OF F&S EXPECTING THEM TO RUN THEIR FPSs ? IT IS A VERY SAD STORY OF THE MORE THAN 98% OF THE FPSs OF ENTIRE DELHI. YOUR GOOD SELF WOULD FURTHER APPRECIATE THAT THE MORE THAN 50% [1608] FPSs ARE EARNING LESS THAN Rs14,000/- P.M. JUST BECAUSE OF MUCH LESSER MONTHLY ALLOCATION OF SFAs EACH MONTH.

IN FACT THIS URGENTLY CALLS FOR NECESSARY RATIONALISATION OF THE QUANTITY OF MONTHLY ALLOCATIONS INSTEAD OF CARD POSITION. AS THE FPSs GET MARGIN MONEY ON THE BASIS OF QUANTITY OF WHEAT & RICE AND NOT ON NUMBER OF CARD POSITION.

2. RENEWAL OF THE AUTHORISATION OF FPSs ONLINE

SIR, THIS HAS BEEN ONE OF THE MAJOR CAUSE OF CORRUPTION IN THE DEPARTMENT AND WE HAVE BEEN REQUESTING ON THIS ISSUE FOR A PRETTY LONG TIME TO EITHER MAKE THE RENEWAL BASED ON FIVE YEARS TERM ETC. OR EVEN STOP THE SAME. WE HAD EVEN MADE A SPECIFIC REPRESENTATION TO THE HONOURABLE CHIEF MINISTER SHRI ARVIND KEJRIWAL JI ON 25TH AUGUST, 2015 WHEN HE HAD SOUGHT SUGGESTIONS FROM THE PUBLIC FOR ABOLISHING THE "LICENSE-RAJ". REFER **ANNEXURE NO.3** BUT WHAT HAS EMERGED IS INTRODUCTION OF ONLINE RENEWAL SYSTEM FOR THE FPSs w.e.f. 16TH OF JANUARY, 2016. INTERESTINGLY TILL DATE IT HAS NOT BEEN UTILISED BECAUSE OF VARIOUS SHORTCOMINGS. WE REQUEST FOR A "DEMO" ZONE-WISE.

3. ADMISSIBLE SHORTAGE CLAIMED BY FPS HOLDER

SIR, AS A PART OF PETTY OPERATIONS IN THE DISTRIBUTION OF SFAs TO SEVERAL CUSTOMERS, SHORTAGE IN THE FORM OF HANDLING IS BUT OBVIOUS AND IT ACTUALLY HAPPENS. WE ARE ONLY KEEN & HUMBL Y REQUEST YOUR GOOD SELF TO GET THE INSTRUCTIONS, ORDERS OR

DIRECTIONS ISSUED BY THE DEPARTMENT PLACED ON THE PUBLIC PORTAL FOR THE INFORMATION OF THE PUBLIC AT LARGE THROUGH THE POLICY BRANCH AND A HARD COPY GIVEN TO US.

WITH BEST WISHES,

YOURS FAITHFULLY,


[SHIV KUMAR GARG]


PRESIDENT, DSRDS, DELHI

MOBILE:-9212567435

ENCL:-A.A.

COPY TO:-

SHRI IMRAN HUSSAIN, MINISTER OF FOOD & CIVIL
SUPPLIES, GONCT OF DELHI, NEW SECRETARIATE
BUILDING, NEW DELHI-110002



- (छ) "पॉइंट ऑफ़ मेल यंत्र" से "आधार सख्या" या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट, कोई अन्य अधिप्रमाण यंत्रों के आधार पर खाद्यान्नों के परिधान के लिए हकदार व्यक्तियों या गृहस्थियों की पहचान के लिए उचित दर दुकानों पर संस्थापित और प्रचलित कोई यंत्र अभिप्रेत है;
- (ज) "प्रणाली समाकलन" से राज्य में उचित दर दुकान के लिए पॉइंट ऑफ़ मेल यंत्र को क्रय करने, लगाने और रख-रखाव के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कोई अधिकरण अभिप्रेत है;
- (झ) "टाइड ओवर आवंटन" से अधिनियम की धारा 3 की अध्याय (1) के दूमेरे परंतुक के अधीन हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटन के अतिरिक्त खाद्यान्न, यदि कोई हो, किया जाने वाला आवंटन अभिप्रेत है,
- (ञ) उन पदों और अधिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **खाद्यान्नों के आवंटन के लिए समयसीमा** - केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार खाद्यान्नों के आवंटन और उचित दर दुकानों तक इसके परिधान के लिए, समय-समय पर ब्यागशोक्षित मार्बजतिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश में उपबंधित समयसीमा का पालन करेगी।

4. **केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य** - केन्द्रीय सरकार, अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल में लक्षित मार्बजतिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन करेगी और अभिहित डिपो तक उसके संचलन के लिए व्यवस्था करेगी।

5. **राज्य सरकारों के कर्तव्य** - राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह लक्षित मार्बजतिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का अभिहित डिपो से परिधान प्राप्त करे, अपने प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से इसका परिधान उचित दर दुकानों के द्वार तक मुनिश्चित करे और अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए उसका प्रदाय मुनिश्चित करे।

6. **केन्द्रीय सरकार से सहायता** - (1) केन्द्रीय सरकार, हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए आवंटित खाद्यान्न के वितरण के लिए खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन, इटार्ड-थर्गर्ड और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत मार्जिन पर उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करेगी।

(2) 'टाइड ओवर आवंटन' के संबंध में ऐसी कोई सहायता संदेय नहीं होगी।

7. **केन्द्रीय सहायता के सन्नियम और पैटर्न** - (1) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के सन्नियम (रूप प्रति विंटल में) और केन्द्रीय सरकार का अंश (प्रतिशत में) निम्नलिखित तक सीमित होगा:

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्ग	अंतर-राज्यीय संचलन और इटार्ड-थर्गर्ड	व्यय के सन्नियम (रूप प्रति विंटल)		केन्द्रीय अंश (प्रतिशत में)
		उचित दर दुकानों के डीलर का मार्जिन	पॉइंट ऑफ़ मेल यंत्र के माध्यम से वितरण के लिए अतिरिक्त मार्जिन	
सामान्य	65	70	17	50
विशेष	100	143	17	75

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए-

(1) "सामान्य प्रवर्ग के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:

- आंध्र प्रदेश;
- बिहार;
- छत्तीसगढ़;
- गोवा;
- गुजरात;
- हरियाणा;
- झारखंड;
- कर्नाटक;

- (ix) केरल;
- (x) मध्य प्रदेश;
- (xi) महाराष्ट्र;
- (xii) ओडिशा;
- (xiii) पंजाब;
- (xiv) राजस्थान;
- (xv) तमिलनाडु;
- (xvi) तेलंगाना;
- (xvii) उत्तर प्रदेश;
- (xviii) पश्चिम बंगाल;
- (xix) चंडीगढ़;
- (xx) दादर और नगर हवेली;
- (xxi) दमन और दीव;
- (xxii) दिल्ली; और
- (xxiii) पुद्दुचेरी।

(2) "विशेष प्रवर्ग के राज्यों और गंध राज्य क्षेत्रों" में निम्नलिखित अभिप्रेत हैं -

- (i) अरुणाचल प्रदेश;
- (ii) अरुम;
- (iii) हिमाचल प्रदेश;
- (iv) जम्मू और कश्मीर;
- (v) मणिपुर;
- (vi) मेघालय;
- (vii) मिजोरम;
- (viii) नागालैंड;
- (ix) मित्रिम;
- (x) त्रिपुरा;
- (xi) उत्तराखण्ड;
- (xii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; और
- (xiii) लक्षद्वीप।

(2) उपनियम (1) में उपबंधित अतिरिक्त मार्जिन पाइंट ऑफ़ मेल यंत्र के प्रत्येक प्रवालन, रख-रखाव की लागत, यंत्र के उपयोग के लिए परिचालन के खर्चों और प्रोत्साहन को लागू है।

(3) अतिरिक्त मार्जिन उन उचित दर दुकानों के लिए संदाय होगा जिनमें पाइंट ऑफ़ मेल यंत्र संस्थापित किया है और यह मार्जिन यंत्र के माध्यम से किए गए संव्यवहार तक सीमित होगा।

(4) अतिरिक्त मार्जिन राज्य सरकार से दरतावेजों द्वारा समर्थित एक प्रमाणपत्र के आधार पर, जिनमें निम्नलिखित उपदर्शित होंगे, जारी किया जायगा अर्थात्:-

(क) उचित दर दुकानों की संख्या जिन पर पाइंट ऑफ़ मेल यंत्र संस्थापित हैं और क्रियाशील हैं; और

(ख) पाइंट ऑफ़ मेल यंत्र के माध्यम से किए गए सभी संव्यवहारों के व्यय।

(5) राज्य सरकार, पाइंट ऑफ़ मेल यंत्रों के माध्यम से किए गए सभी संव्यवहारों के व्यय पत्रिका डोमेन में रखेगी।

(6) राज्य सरकार को पॉइंट ऑफ सेल यंत्रों के संस्थापन के लिए निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसी एक प्रतिमान का चयन करने की नम्यता होगी, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार, पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव कर सकेगी;

(ख) राज्य सरकार, पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव करने के लिए एक प्रणाली समाकलक का चयन कर सकेगी;

(ग) उचित दर दुकान का डीलर पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख-रखाव कर सकेगा।

(7) चुने गए प्रतिमान पर निर्भर करते हुए, राज्य सरकार विभिन्न पणधारियों के मध्य पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए अनिश्चित मार्जिन का प्रभाजन करने के लिए, आधार अनधारित करेगी।

(8) राज्य सरकार को दुकानों की अवस्थिति और दुकानों से संबंधित संचालन कार्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के भीतर, अंतर्गीय मार्जिन को अनुमान करने की नम्यता होगी।

परंतु केन्द्रीय सहायता नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों या संपूर्ण राज्य के लिए वार्षिक औसत दर, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वार्षिक रूप से व्यय उपागत किया गया था, जो भी निम्नतर हो, तक सीमित होगी।

(9) खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संबलन और उठाई-थराई पर व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों या संपूर्ण राज्य के लिए उन वार्षिक औसत दरों, जिन पर राज्य सरकार द्वारा वार्षिक व्यय उपागत किया गया था, जो भी निम्नतर हो, तक सीमित होगी।

8. उचित दर दुकान के डीलरों को मार्जिन का अग्रिम संदाय - (1) राज्य सरकार, उचित दर दुकान के डीलरों को मार्जिन का अग्रिम संदाय उनके द्वारा गंदत खाद्यान्नों के मूल्यों में मार्जिन के समायोजन के द्वारा या अन्य समुचित तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित करेगी।

(2) यदि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उचित दर दुकान के डीलरों द्वारा संदेय खाद्यान्नों का मूल्य उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन से कम है, तो राज्य सरकार उचित दर दुकान के डीलरों को, पूर्ण रूप में, मार्जिन का पूर्व संदाय सुनिश्चित करेगी।

9. केन्द्रीय सहायता की प्रभावी तारीख - राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता अधिनियम के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन की तारीख से प्रभावी होगी और केवल हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए आवंटन के लिए होगी।

10. केन्द्रीय सहायता का जारी किया जाना - (1) अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में, हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए खाद्यान्नों के प्राकृतिक वार्षिक आवंटन तथा नियम 7 के उपनियम (1) में यथावर्णित व्ययों के मन्त्रियम और केन्द्रीय अंश के आधार पर आकलित व्यय के केन्द्रीय अंश का पंचवार्षिक प्रतिशत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रथम किस्त के रूप में राज्य सरकार के लिए अग्रिम रूप में जारी किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सहायता का वक्तव्य पञ्जीम प्रतिशत आगामी वित्तीय वर्ष में जारी किया जाएगा।

(3) कुल वार्षिक केन्द्रीय सहायता की स्वीकार्यता और उसकी रकम निम्नलिखित आधार पर प्राकृतिक होगी,-

(क) अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक रूप से वितरित खाद्यान्नों की मात्रा;

(ख) वार्षिक प्रति किंटल दरें जिन पर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संबलन, उठाई-थराई और उचित दर दुकान के डीलरों को गंदत मार्जिन पर जो व्यय किया गया था नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट व्ययों के मन्त्रियम, उपाग में जो भी निम्नतर हो; और

(ग) नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अंश के मन्त्रियम।

(4) पहली किस्त के जारी किए जाने के पश्चात्, यदि कोई रकम देय है, तो वह दूसरी किस्त के रूप में जारी की जाएगी।

(5) पहली किस्त में अधिक रकम के जारी किए जाने की तथा में पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के लिए देय केन्द्रीय सहायता उगके प्रति समायोजित की जाएगी।

(6) राज्य सरकार, दूसरी किस्त जारी किए जाने के लिए उन नियमों के अनुसूची (1) और अनुसूची (2) में विहित प्रोफार्मा में जानकारी देगी।

(7) पश्चात्वर्ती वर्षों में, केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित के आधार पर संगणित की जाएगी,-

(क) राज्य को हकदार व्यक्तियों और गृहस्थियों के लिए खाद्यान्नों का प्राकृतिक वार्षिक आवंटन;

(ख) वार्षिक प्रति किंटल दरें जिन पर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संबलन, उठाई-थराई और उचित दर दुकान के डीलरों को पृथक्कर गंदत

माहिता पर जो व्यय किया गया था या नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट व्ययों के सन्निध, इसमें से जो भी निम्नतर हो, जाए

(ग) नियम 7 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय बजट के सन्निध

(8) उपनियम (7) के अधीन प्रावधानित केन्द्रीय सहायता का पतनतर प्रतिशत विन्तीय वर्ष के प्रारंभ में पहली किस्त के रूप में जारी की जाएगी।

(9) केन्द्रीय सहायता का वकाया पञ्जीम प्रतिशत उपनियम (3), उपनियम (4), उपनियम (5) और उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहने हूये आगामी विन्तीय वर्ष में दुमरी किस्त के रूप में जारी की जाएगी।

11. **पूर्ववर्ती वर्षों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी किया जाना -** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां उन नियमों के प्रवृत्त होने के पहले के वर्षों में अधिनियम का कार्यान्वयन प्रारंभ हो वकाया, पूर्ववर्ती वर्षों के लिए देय केन्द्रीय सहायता का जारी किया जाना, यथास्थिति, राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उन नियमों की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विहित प्रोफार्मा में दी गई जानकारी के आधार पर होगा।

12. **उपयोगिता प्रमाणपत्र -** राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सामान्य विन्तीय नियम, 2005 में यथा उपबंधित विहित प्रोफार्मा में उपयोगिता प्रमाणपत्र केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[मं. 15-34/2014-एनएफएमएण]

नीलाम्बज शरण, आर्थिक सलाहकार

अनुसूची -1

प्रोफार्मा

(नियम 10 का उप-नियम (6) और नियम 11 देखें)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम.....

विभाग.....

खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और उठाई-धराई पर केन्द्रीय सहायता की दुमरी/अंतिम किस्त जारी करने के लिए दावा

दिल से.....

तारीख.....

..... वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण संयोजित करने वाली खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन और उठाई-धराई पर उपगत होने वाले व्यय की विवरणी

खाद्यान्न	खाद्यान्न की मात्रा (ट्रिडल में)		राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खाद्यान्नों के अंतर- राज्यीय संचलन और उठाई- धराई पर वास्तविक व्यय		अनुमोदित सन्निध के अनुसार खाद्यान्नों के अंतर- राज्यीय संचलन और उठाई-धराई पर व्यय (रुपए लाख में)	केन्द्रीय सहायता	
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आवंटित	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वितरित वारनविक मात्रा	दर (रुपए प्रति ट्रिडल में)	उपगत कुल व्यय (रुपए लाख में)		प्रतिशत*	कुल देय [संभ (7) में दिया गया प्रतिशत स्बंध (5) और (6) में से जो भी निम्न हो, पर लाभू द्वारा] (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
गेहूं बाबल							

मोट्टा							
खाद्यपत्र							
कुल							
वट्टारण: वर्ष के दूरगन प्रान अंतिम केन्द्रीय सहायता (रूपण न्याय में)							
भारत सरकार में प्राप्त होने वाली शुद्ध रकम (रूपण न्याय में)							

प्रमाणित किया जाता है कि:-

- (1) उपर्युक्त जानकारी सही है।
- (2) खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्य और मार्बजनिक् वितरण विभाग द्वारा किए गए आवंटन से लक्षित मार्बजनिक् वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यपत्र की वास्तविक मात्रा के लिए दावा किया गया है।
- (3) दावा खाद्यपत्र के अंतर-राज्यीय संवहन और उठाटे-थ्रगर्ट पर उपगत वारनविक व्यय के आधार पर है।
- (4) दावा पूर्वतर नहीं किया गया है।
- (5) उपर्युक्त प्रोफार्मा के माध्यम से दावा की जा रही रकम का दावा, विताराधीन संबंधित वस्तु के लिए संगत विपणन मोगम हेतु भारत सरकार द्वारा उपागत के प्रायोगिक लागत पत्र को अंतिम रूप देने गमय उपागत के प्रायोगिक/आर्थिक लागत के भाग के रूप में, भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम में नहीं किया गया है/नहीं किया जाएगा।

वित्तीय प्रधान

(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

प्रधान सचिव/सचिव

खाद्य और नागरिक आपूर्ति

(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

टिप्पण - प्रमाणपत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्यपत्र के वितरण के लिए संवद्ध विभाग के वित्तीय प्रधान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के या उक्त विभाग द्वारा गम्यक रूप में नाम निर्दिष्ट अधिकरण जो गेगा करने के लिए प्राधिकृत है, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

*नियम 7 के उपनियम (1) में यथाविहित केन्द्रीय सहायता के अनुमोदित सन्धियम और प्रतिशतता।

अनुसूची -2

प्रोफार्मा

(नियम 10 का उप-नियम (6) और नियम 11 देखें)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम.....

विभाग.....

उचित दर दुकान के डालरों के मार्जिन में केन्द्रीय सहायता की दररी/अंतिम किरण जारी किए जाने के लिए दावा

दिन सं.....

तारीख.....

(क) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लक्षित मासिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण दर्शित करने वाली और उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर उपगत होने वाले व्यय की विवरणी

खाद्यान्न	खाद्यान्न की मात्रा (किलो में)		राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर वार्षिक व्यय		अनुमोदित मासिक के अनुसार उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर व्यय	केन्द्रीय महायता	
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वितरित वार्षिक मात्रा	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वितरित वार्षिक मात्रा	दर (रुपए प्रति किलो में)	अपगत कुल व्यय (रुपए लाख में)		प्रतिशत*	कुल देय [स्नंभ (7) में दिया गया प्रतिशत स्नंभ (5) और (6) में से जो भी निम्न हो, पर लागू होगी] (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
गेहूं							
चावल							
मोटा खाद्यान्न							
कुल							
घटाएँ : वर्ष के दौरान प्राप्त अधिम केन्द्रीय महायता (रुपए लाख में)							
भारत सरकार से प्राप्त होने वाली शुद्ध रकम (रुपए लाख में)							

(ख) वर्ष के दौरान पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्यान्नों के विक्रय के लिए उचित दर दुकानों के डीलर को संदेय अनिश्चित मार्जिन को दर्शित करने वाली तालिका

क्रम सं.	विवरण	सं./ रकम
1	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उचित दर दुकानों की कुल संख्या	
2	उचित दर दुकानों की संख्या जहां पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का संस्थापन किया गया है	
3	उचित दर दुकानों की संख्या जहां वर्ष के दौरान पॉइंट ऑफ सेल यंत्र क्रियाशील थे	
4	वर्ष के दौरान पॉइंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से वितरित खाद्यान्नों की मात्रा	
5	पॉइंट ऑफ सेल यंत्र प्रयोग करने वाली उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण के लिए 17/- रुपए प्रति किलो की दर से उचित दर दुकानों के डीलरों को संदेय अनिश्चित मार्जिन की रकम (क्रम सं. 4 पर वर्णित मात्रा के लिए) (रुपए लाखों में)	
6	केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय अनिश्चित मार्जिन का प्राग (अपसृत 5 से अधिक)	
7 वर्ष के दौरान प्राप्त अधिम केन्द्रीय महायता (रुपए लाखों में)	
8	भारत सरकार से प्राप्त की जाने वाली शुद्ध रकम (रुपए लाखों में) (6-7)	

(ग) यह प्रमाणित किया जाना है कि:-

(1) उपर्युक्त जानकारी सही है।

- (2) खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किए गए आवंटन से संबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न की वार्षिक मात्रा के लिए ही दावा तैयार किया गया है।
- (3) दावा अतिरिक्त दस दसकों के ईन्वरी को मॉडर्न पर उपगत वार्षिक व्यय के आधार पर है।
- (4) दावा पूर्वतर नहीं किया गया है।

वित्तीय प्रधान

(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

प्रधान सचिव/सचिव

खाद्य और नागरिक आपूर्ति

(नाम, तारीख और शासकीय मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

टिप्पण - प्रमाणपत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्यान्न के वितरण के लिए संबद्ध विभाग के वित्तीय प्रधान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के या उनके विभाग द्वारा सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट अभिकरण जो ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, द्वारा सन्तुष्ट किया जाय।

*नियम 7 के उपनियम (1) में यथाविहित केंद्रीय गठानका के अनुमोदित मन्त्रियम और प्रतिशतता।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17 August, 2015

G.S.R. 636(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 39 read with clause (d) of sub-section (1) of section 22 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.—(1) The Food Security (Assistance to State Governments) Rules, 2015, (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Aadhaar number" means the identification number issued to an individual by the Unique Identification Authority of India;
- (b) "Act" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);
- (c) "designated depots" means the depots specified from time to time, State-wise, by the Central Government, for the purpose of distribution of foodgrains;
- (d) "entitled persons and households" means persons or households identified by the State Government to receive subsidised foodgrains under section 3 of the Act;
- (e) "handling" means loading and unloading of foodgrains involved in intra-State movement;
- (f) "intra State movement" means movement of foodgrains within a State from the designated depots and delivering it at the door-step of fair price shops and shall include all stages in this process;
- (g) "point of sale device" means a device to be installed and operated at fair price shops for identification of entitled persons and households for delivery of foodgrains, based on 'Aadhaar number' or other authentication tools, specified by the Central Government from time to time;
- (h) "system integrator" means an agency engaged by the State Government to purchase, install and maintain the point of sale device at fair price shops in the State;
- (i) "tide over allocation" means foodgrains allocated to a State or Union territory, if any, under second proviso to sub section (1) of section 3 of the Act, over and above the allocation for entitled persons and households;
- (j) the words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Time limit for allocation of foodgrains.—The Central Government and the State Government shall adhere to the time limits provided in the Public Distribution System (Control) Order, 2015, as amended from

(2) "Special Category States and Union Territories" means the following:

- (i) Arunachal Pradesh;
- (ii) Assam;
- (iii) Himachal Pradesh;
- (iv) Jammu and Kashmir;
- (v) Manipur;
- (vi) Meghalaya;
- (vii) Mizoram;
- (viii) Nagaland;
- (ix) Sikkim;
- (x) Tripura;
- (xi) Uttarakhand;
- (xii) Andaman and Nicobar Islands; and
- (xiii) Lakshadweep.

(2) The additional margin provided in sub-rule (1) is towards the cost of purchase, operation and maintenance of the point of sale device, its running expenses and incentive for its use.

(3) The additional margin shall be payable for the fair price shop which has installed a point of sale device and shall be limited to the transactions made through it.

(4) The additional margin shall be released on the basis of a certificate from the State Government, supported by the documents, indicating the following, namely:

- (a) number of fair price shops at which the point of sale devices have been installed and are functional; and
- (b) the details of all transactions using the point of sale devices.

(5) The State Government shall furnish the details of all transactions made through the point of sale devices in public domain.

(6) The State Government shall have the flexibility in choosing any of the following models for the installation of point of sale device, namely:

- (a) the State Government may purchase, install and maintain the point of sale device;
- (b) the State Government may select a system integrator to purchase, install and maintain the point of sale device;
- (c) the fair price shop dealer may purchase, install and maintain the point of sale device.

(7) The State Government shall determine the basis for apportioning the additional margin for sale through point of sale device among different stakeholders, depending upon the model chosen.

(8) The State Government shall have the flexibility to allow differential margins within the State taking into consideration the location of shops and number of ration cards attached to the shops:

Provided that the Central assistance shall be limited to the rates specified in sub-rule (1) of rule 7 or the actual average rates for the State as a whole, at which the expenditure was actually incurred by the State Government, whichever is lower.

(9) For the expenditure on intra-State movement and handling of foodgrains, Central assistance shall be limited to the rates specified in sub-rule (1) of rule 7 or the actual average rates for the State as a whole at which expenditure was incurred by the State Government, whichever is lower.

8. Advance payment of margins to fair price shop dealers.—(1) The State Government shall ensure the payment of fair price shop dealers' margin in advance by way of adjusting the same in prices of foodgrains to be paid by fair price shop dealers, or through other appropriate mechanism.

(2) If the price of foodgrains payable by fair price shop dealers in any State or Union territory is lower than the fair price shop dealers' margin, the State Government shall ensure upfront payment of margin, in full, to fair price shop dealers.

Schedule-I

PROFORMA

(See sub-rule (6) of rule 10 and rule 11)

Name of the State/UT

Department of

Claim for release of second/final instalment of Central assistance on intra-State movement and handling of foodgrains

Bill No.

Date

Statement showing distribution of foodgrains through Targeted Public Distribution System under National Food Security Act, 2013 and expenditure incurred on intra-State movement and handling of foodgrains during the year

Foodgrains	Quantity of Foodgrains (in quintals)		Actual expenditure on intra State movement and handling of foodgrains by State or Union territory		Expenditure on intra State movement and handling of foodgrains as per approved norms* (in ₹ in lakhs)	Central assistance	
	Allocated by Department of Food and Public Distribution	Actual quantity distributed by the State or Union territory under National Food Security Act, 2013	Rates (₹ per quintal)	Total expenditure incurred (in ₹ in lakhs)		Percent tage*	Total due (% in col.7 to be applied to lower of col.5 or 6) (in ₹ in lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wheat							
Rice							
Coarsegrains							
Total							
Less: Advance Central assistance received during the year (in ₹ in lakhs)							
Net amount to be received from Government of India (in ₹ in lakhs)							

It is certified that:-

1. The above information is correct.
2. The claim has been prepared only for foodgrains actually distributed through Targeted Public Distribution System under National Food Security Act, 2013 out of the allocation made by Department of Food and Public Distribution.
3. The claim is based on the actual expenditure incurred on intra-State movement and handling of foodgrains.
4. The claim has not been preferred earlier.
5. The amount being claimed through above proforma have not been claimed/ shall not be claimed from the Government of India/Food Corporation of India as part of procurement incidental/economic

cost, in the finalisation of procurement incidentals cost sheet by the Government of India for the relevant marketing season for respective commodity under consideration.

Financial Head

Authorised signatory

(Signature with name, date and official seal)

(Signature with name, date and official seal)

Principal Secretary/Secretary

Food and Civil Supplies

(Signature with name, date and official seal)

Note : The certificate may be signed by the Financial Head and the authorized signatory of the department concerned with distribution of foodgrains under National Food Security Act, 2013 or the nominated agency duly authorized by that department to do so.

*Approved norms and percentage of Central assistance as prescribed in sub-rule (1) of rule 7.

Schedule-II

PROFORMA

(See sub-rule (6) of rule 10 and rule 11)

Name of the State/UT _____

Department of _____

Claim for release of second/final instalment of Central assistance for expenditure incurred on margins to fair price shop dealers

Bill No. _____

Date _____

(A) Statement showing distribution of foodgrains through Targeted Public Distribution System under National Food Security Act, 2013 and expenditure incurred on margins to fair price shop dealers during the year

Foodgrains	Foodgrains (in quintals)		Actual expenditure on payment of margins to fair price shop dealers by State of Union territory		Expenditure on margins to fair price shop dealers as per approved norms* (in ₹ in lakhs)	Central assistance	
	Allocated by Department of Food and Public Distribution	Actually distributed by the State or Union Territory under National Food Security Act, 2013	Rates (₹ per quintal)	Total expenditure incurred (in ₹ in lakhs)		Percen- tage*	Total due (% in col.7 to be applied to lower of col.5 or 6) (in ₹ in lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wheat							
Rice							
Coarsegrains							
Total							
Less: Advance Central assistance received during the year (in ₹ in lakhs)							
Net amount to be received from Government of India (in ₹ in lakhs)							

(B) Table showing additional margin payable to fair price shop dealers for sale of foodgrains under National Food Security Act, 2013 through point of sale device during the year

S.No.	Item	No./Amount
1	Total number of fair price shops in the State/UT	
2	Number of fair price shops where point of sale device has been installed.	
3	Number of fair price shops where point of sale device was functioning during the year	
4	Quantity of foodgrains distributed through point of sale device during the year.	
5	Amount of additional margin payable to fair price shop dealers @ ₹17 per quintal for distribution of foodgrains through fair price shops using point of sale device (for quantity mentioned at S.No.4). (in ₹ in lakhs)	
6	Share of additional margin payable by Central Government* (out of 5 above)	
7	Advance Central assistance received during the year (in ₹ in lakhs)	
8	Net amount to be received from Government of India (in ₹ in lakhs) (6-7)	

(C) It is certified that:

1. The above information is correct.
2. The claim has been prepared only for foodgrains actually distributed through Targeted Public Distribution System under National Food Security Act, 2013 out of the allocation made by Department of Food and Public Distribution.
3. The claim is based on the actual expenditure incurred on margins paid to fair price shop dealers.
4. The claim has not been preferred earlier.

Financial Head

Authorised signatory

(Signature with name, date and official seal)
Principal Secretary/Secretary

(Signature with name, date and official seal)

Food and Civil Supplies

(Signature with name, date and official seal)

Note: The certificate may be signed by the Financial Head and the authorised signatory of the department concerned with distribution of foodgrains under National Food Security Act, 2013 or the nominated agency duly authorised by that department to do so.

*Approved norms and percentage of Central Assistance as prescribed in sub-rule (1) of rule 7.

DELHI SARKARI RASHAN DEALERS SANGH DELHI

DETAIL OF ZONAL WISE FPS (FAIR PRICE SHOP) ALLOCATION OF WHEAT AND RICE

FOR THE MONTH OF FEBRUARY-2016

ANNEXURE No.2

ZONE NAME	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 0-50 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 50-100 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 100-200 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 200-300 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION BETWEEN 300-400 QUANTAL	FPS HAVING ALLOCATION ABOVE 400 QUANTAL	TOTAL NUMBER OF FPS'S
WEST	22	46	133	71	6	1	279
NORTH WEST	19	30	123	108	31	5	316
NORTH EAST	9	61	172	68	29	7	346
NEW DELHI	24	42	49	20	2	1	138
SOUTH	25	49	137	68	11	1	291
SOUTH WEST	11	47	162	65	14	5	304
EAST	11	55	119	56	2	0	243
CENTRAL	15	35	77	35	7	2	171
NORTH	12	31	92	48	13	7	203
TOTAL	148	396	1064	539	115	29	2291
PERCENTAGE OF ALLOCATION FOR FPS'S	6.46%	17.28%	46.44%	23.53%	5.02%	1.27%	100%
MAXIMUM INCOME OF FAIR PRICE SHOP @70 Rs. P. QTL.	3500/-	7000/-	14000/-	21000/-	28000/-	30000/-	MONTHLY INCOME EXCLUDING ALL EXPENSES OF FPS

*ABOVE MENTIONED DATA CONFIRMED FROM THE DEPARTMENTAL WEBSITE- <http://nfs.delhi.gov.in/Citizen/FPSWiseAllocation.aspx?type=MA==>

ABOVE DETAIL PREPARED BY MR. RAHUL AGGARWAL AND CHECKED BY MR. SHIV KUMAR GARG AS DATA FOUND ON THE WEBSITE OF FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT, GONCT OF DELHI



दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

कार्यालय का पता : दुकान नं. 2-3, सी-4, डी.डी.ए., मार्केट, प्रथम तल, लॉरेन्स रोड, केशवपुरम, दिल्ली-35

E-mail dsrdsdelhi@gmail.com Website

दिनांक 24-07-2015

दिनांक

अध्यक्ष/प्रधान

शिवकुमार गुप्ता

मो. 9212567435

ई मेल skg7435@gmail.com

महारासचिव

शोनायाम

मो. 9312238830

ई मेल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

जयदीप प्रसाद शर्मा

मो. 9910406015

ई मेल

उपाध्यक्ष

कोमल अग्रवाल (नई दिल्ली)

मो. 9811153175

ई मेल

अक्षय गोयल (ईस्ट)

मो. 9560128537

ई मेल

के.पी.त्यागी (नोर्थ इस्ट)

मो. 9910173582

ई मेल

रोहित गुप्त (सेन्टर)

मो. 9211608223

ई मेल

प्रेम बन्द सिधला (वेस्ट)

मो. 9212526640

ई मेल

श्याम सुन्दर गोयल (नोर्थ वेस्ट)

मो. 9311170848

ई मेल

विनोद मलिक (साउथ वेस्ट)

मो. 9810678574

ई मेल

अशोक सिन्हा (साउथ)

मो. 9810316311

ई मेल

सचिव

वी.एम. गुप्ता

मो. 9311385566

भिक्षारी लाल

मो. 9278203088

कृष्ण विहारी बंसल

मो. 9810630303

कैशियर

प्रेम कुमार गोयल

मो. 9213745545

क्रमिक संख्या DSRDS/2015/22


सेवा में,

श्री मान अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री महोदय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली
ए- 322, तृतीय तल, दिल्ली सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय - 10 जुलाई 2015 को नवभारत टाइम्स दिल्ली
द्वारा मांगे गए सुझाव "दिल्ली को लाइसेंस राज से मुक्त
करना है" के संदर्भ में राशन की उचित दर दुकान के
लाइसेंस रिन्यूवल की समाप्ति हेतु सुझाव-
महोदय,

उपरोक्त सम्बंधित विषय को समय अनुसार
भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आपका यह एक
प्रशंसनीय कदम है जिसका हमारी संस्था जनहित में
आपके द्वारा मांगे गए सुझावों पर सर्व प्रथम "आपकी
सरकार-दिल्ली सरकार" को धन्यवाद देती है, दिल्ली में
उचित दर दुकानदारों के लाइसेंस नवीनीकरण को समाप्त
करने के उन कारणों का उल्लेख करने का प्रयास सरकार
की मंशा पर प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

विशेष सूचना अधिकारी : राहुल अग्रवाल - 9871420213



यह कि दिल्ली सरकार के खाद्य एवं संभरण विभाग द्वारा विगत सन् 2006 स आधी अधूरी नियमावली पर प्रत्येक तीसरे वर्ष उचित दर दुकानों का लाइसेंस नवीकरण किया जा रहा है जिसका विवरण उचित दर दुकानदारों ने एक ही स्वर में अपनी व्यथा को इस प्रकार वर्णित किया है जो इस प्रकार है :-

1. यह कि लाइसेंस के रिन्यूवल की तारीख से एक माह पूर्व हमें अपने जोनल ऑफिस / सहायक आयुक्त कार्यालय में जाकर रिन्यूवल के लिए 500 रुपये की फीस कटवानी होती है जिसके लिए 100-200 रुपये तक की नाजायज अदायगी कर बलि का बकरा बनना पड़ता है जोकि भ्रष्टाचार का पहला पड़ाव है इसलिए इस प्रकार की रिन्यूवल फीस का कोई महत्त्व नहीं है
2. यह की रिन्यूवल फीस कटवाने के बाद इसके लिए कार्यालय से हमें कोई भी परफोर्मा (PERFORMA) नहीं दिया जाता और हमें आयुक्त कार्यालय के बाहर बैठे वेंडरो के चक्कर में पड़कर मात्र 80 रुपये के कागजात की फाइल 400-500 रुपये में खरीद कर उनकी जेब भरनी पड़ती है यह भी हमपर अतार्किक बोझ है और इस प्रकार की प्रताडना की द्रष्टि से यह नवीनीकरण प्रक्रिया निरस्त होने योग्य है.
3. यह की इस रिन्यूवल की फाइल को मंडल कार्यालय में जमा करने के लिए डायरी करने हेतु सम्बंधित लिपिक को 200-500 रुपये की सेवा भेंट देनी पड़ती है इस प्रकार ही प्रत्येक सर्कल की प्रक्रिया शुरू होती है! इस कारण ऐसे रिन्यूवल का कोई महत्त्व नहीं होता, जिसकी नीव ही भ्रष्टाचार पर रखी जाती है.
4. यह कि दुकान के साइज, कोटा, मकान मालिक के बयान/NOC आदि दस्तावेज जमा करने के बाद FPS HOLDER द्वारा निरीक्षक (INSPECTOR) को इनकी भौतिक जाँच करने के नाम पर 5000-10000 रुपये देने पड़ते हैं तब कही जाकर फाइल खाद्य एवं संभरण अधिकारी (F.S.O.) के पास पहुँचती है. विडम्बना यह है कि क्या

दुकान की समय-समय पर होने वाली भौतिक जाँच में उपरोक्त बातों को नहीं देखा जाता इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यह एक मिथ्या प्रक्रिया है अतः इसे शीघ्र अति शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह लेन-देन दुकानदार और निरीक्षक के बीच में भ्रष्टाचार के सेतु का कार्य करता है इसलिए यह रिन्यूवल समाप्त होने योग्य है.

3. यह कि इसके पश्चात खाद्य एवं संभरण अधिकारी(F.S.O.) लाइसेंसी के हस्ताक्षरों को सत्यापित करने हेतु एवं उपरोक्त जमा दस्तावेजों व सूचनाओं को उचित ठहराने हेतु अपनी फ़ीस 5000 से 10000 रुपये वसूलता है यदि राशन दुकान ठेके पर चल रही होती है तो यह राशि 10000 से 15000 हो जाती है जिससे इस विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे दुकानदारों के बीच सुविधापूर्वक कालाबाजारी का खेल चलता है अतः इस प्रक्रिया का समाप्त होना आवश्यक है अन्यथा जो दुकानदार मालिक की हैसियत से अपनी दुकान खुद चला रहे हैं उन्हें भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें भी इस प्रक्रिया से कई बार गुजरना पड़ता है.

4. यह कि इसके पश्चात यह फाइल खाद्य एवं संभरण अधिकारी से सहायक आयुक्त के कार्यालय में पहुँचती है और इसके पश्चात विभाग की ओर से इससे सम्बंधित कोई भी लिखित सूचना राशन दुकानदार को नहीं भेजी जाती है जिस कारण दुकानदार सहायक आयुक्त कार्यालय के चक्कर काटता है और सम्बंधित कार्यालय के कर्मचारी इसके एवज में 2000 से 4000 रुपये तक वसूल कर जबानी तारीख तय कर देते हैं और जब उचित दर दुकानदार पुनः नियत तिथि व नियत समय पर सहायक आयुक्त कार्यालय में जाते हैं तो चपरासी को फाइल निकलने हेतु 500 रुपये देने पड़ते हैं तब जाकर फाइल सहायक आयुक्त के पास पहुँचती है.

यह कि जब सहायक आयुक्त के पास फाइल पहुँचती है तब सहायक आयुक्त को सम्बंधित फाइल को पेश करने वाला कर्मचारी यह बता देता है कि अमुक दुकान ठेके की है या फिर यह दुकान स्वयं लाइसेंसी चला रहा है, इस दूकान का कोटा कितना है, इसके पास कितने राशन कार्ड दर्ज है, गरीबी रेखा के कितने कार्ड है, इसकी कितनी शिकायतें आती हैं और इसी मापदंड पर लेन-देन की प्रक्रिया 10,000-20,000 से 40,000 तक तय की जाती है इसलिए इस प्रकार की नवीनीकरण की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने हेतु बंद करना अति आवश्यक है यही एक मुख्य कारण है जो राशन दुकानदारों को भ्रष्टाचार/कालाबाजारी की खाई में धकेलता है, इसीलिए जिन दुकानदारों से अभी तक लेन देन तय नहीं हुआ है उन सभी की फाइल राशन दफ्तरों में पड़ी धूल फांक रही है अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी अतार्किक और भ्रष्टाचार को फैलाने वाली नवीनीकरण प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर देना अति आवश्यक है.

गौरतलब हो कि दिल्ली में पूर्व सरकार के समय केरोसिन आयल डिपो (KOD) भी चलती थी जिसके लाइसेंस नवीनीकरण किये जाते थे परन्तु FPS's के लाइसेंस नवीनीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं था और ना ही DELHI SPECIFIED FOOD ARTICLES (REGULATION OF DISTRIBUTION) ORDER-1981 में FPS नवीनीकरण के बारे में कोई उल्लेख है यदपि FPS के AUTHORIZATION सन 2006 में कुछ विषम परिस्थितियाँ तथा भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी जेब गरम करने हेतु बिना सरकार की स्वीकृति (PERMISSION) के विभाग ने स्वयं पालिसी बनाकर हमें मौखिक आदेश देकर यह प्रक्रिया शुरू कर दी ! जिसका उद्देश्य केवल और केवल राशन दुकानदारों को प्रताड़ित कर उनसे अवैध उगाही/वसूली करना है जिसका पालन अक्षरतः दिल्ली के उचित दर दुकानदार करते आ रहे हैं.


चूँकि जबसे दिल्ली में CONTROL ORDER-1981 लागू हुआ है उसके बाद से वर्ष 2005 तक किसी भी राशन दुकानदार को लाइसेंस रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु वर्ष 2006 में श्री के. एस. मेहरा (आयुक्त खाद्य एवं संभरण विभाग) द्वारा नई पालिसी बनाकर यह भ्रष्टाचार का खेल शुरू किया गया!

आशा ही नहीं हमें पूर्ण विश्वास है कि "आपकी सरकार-दिल्ली सरकार" द्वारा माँगे गए सुझावों पर गहन विचार कर तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर इस मौजूदा नवीनीकरण प्रक्रिया को समाप्त करने का आदेश पारित करेगी! यदि किसी कारण सरकार इस प्रक्रिया को समाप्त करने में असफल होती है तो दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार उन्मूलन नीति निराधार साबित होगी!

सधन्यवाद

संलग्न:- नवभारत टाइम्स-दिल्ली में दिए गए ज्ञापन की प्रतिलिपि

प्रेषक


शिवकुमार गर्ग (अध्यक्ष)

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली

मो. 9212567435

9868267435

E MAIL:- dsrdsdelhi@gmail.com